

पूर्वात्तर रेलवे



कागोलय

मण्डल रेल प्रबन्धक / इन्जी०
लखनऊ
दिनांक 09.06.2022

सि० ड / ८२३ / लज० / सू०अधि / आन ल० / २०२२ / ३३ / ड ४वी

Shri Prashant Kumar Soni,
Old Income Tax Building,
Ajad Nagar, Lower Aniala,
Una, Himachal Pradesh,
Pin-174303, Mob. 98714274411

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के अन्तर्गत आपद्दारा माँगी गयी सूचना।

सन्दर्भ- On Line Registration No. NERLD/R/T/22/00195।।. 06/06/2022

उपरोक्त विषयक एव सदर्भित पत्र के माध्यम से माँगी गयी सूचना मदवार निम्नवत् है:-

मद् सं०	मद्	जवाब
a.	What is the Maximum Permissible Speed (in short MPS) of different railway sections lies between GKP and LJN/ASH (via KLD, BST, GD, BUW, BBK and BNZ)? Please provide section-wise MPS separately for each section.	Gorakhpur to LJN/ASH(via KLD, BST, GD, BUW, BBK and BNZ.) MPS is 110 Kmph.
b.	If it all are 110 kmph, then whether North Eastern Railway has any plan to upgrade the MPS of the subject section to 130 kmph?	Yes.
c.	If there is any such plan, then when it will be fully completed for the said rail sections (section-wise)?	Various works required for speed raising is planned & in progress. "When it will be completed" is not a factual information which can be specifically provided under RTI act as DOP's OM/1/4/2009 Dt.05.10.2009

यदि दी गयी सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं तो ३० दिन के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, अपर मंडल रेल प्रबन्धक / प्रशासन, पूर्वात्तर रेलवे लखनऊ, १० अशोक मार्ग, डीआरएम कार्यालय लखनऊ-२२६००१ को अपील कर सकते हैं।

वरि० मण्डल इंजीनियर (समन्वय)
पूर्वात्तर रेलवे, लखनऊ

प्रतिलिपि- नोडल लोक सूचना अधिकारी / लज० को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

वरि० मण्डल इंजीनियर (समन्वय)
पूर्वात्तर रेलवे, लखनऊ